

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 12, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल - 462 016

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 2010

क्रमांक 3120/मप्रविनिआ/2010, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181(2)(एच) एवं 181(2) (जेडडी) सहपठित धारा 36 एवं 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2009 जो दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था, में निम्न संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2009 में द्वितीय संशोधन

1. प्रस्तावना :

भारतीय रिजर्व बैंक ने "प्रधान ऋण प्रदाय दर (Prime Lending Rate)" प्रणाली के स्थान पर "आधार दर (Base Rate)" प्रणाली लागू किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं । अतएव नवीन प्रणाली से संरेखित, वर्तमान विनियमों को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

2. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 2.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2009 (द्वितीय संशोधन) [ARG-28 (I) (ii), वर्ष 2010]" कहलायेंगे ।

2.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबंधी अनुज्ञप्ति-प्राप्त श्रेत्रों में प्रयोज्य होंगे ।

2.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

3. विनियमों 8, 13, 15 तथा 28 में संशोधन :

"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2009"

की कण्डिकाओं 8.4, 13.1, 15.2 तथा 28.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

(अ) 8. टैरिफ अवधारण तथा उसके सत्यापन की रीति :

"8.4 यदि अद्यतन रूप से वसूल किये गये टैरिफ की राशि सत्यापन उपरान्त किये गये अवधारित टैरिफ से अधिक हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दीर्घ-अवधि पारेषण हितग्राहियों को अधिक वसूल की गई राशि को उक्त वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में 4 प्रतिशत जोड़कर के बराबर साधारण ब्याज दर पर प्रत्यर्पण (Refund) किया जाएगा । इसी प्रकार, ऐसे प्रकरण में जहां वसूल किया गया टैरिफ सत्यापन उपरान्त अवधारित टैरिफ राशि से कम हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ-अवधि पारेषण हितग्राहियों से कम वसूल की गई राशि की वसूली तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में चार प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज के साथ करेगा जो कि आयोग द्वारा सत्यापन याचिका दायर किये जाने संबंधी विनिर्दिष्ट की गई समय-सीमा का अनुसरण किये जाने के अध्यक्षीन होगा । ऐसे प्रकरण में, जहां यह पाया गया हो कि सत्यापन याचिका का दायर किया जाना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये विलंब के कारण है तो कम की गई वसूली राशि पर ब्याज देय न होगा ।"

(ब) 13. अनुमोदित राशि से की गई अधिक वसूली की वापसी :

“13.1 किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे हितग्राहियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से अधिक टैरिफ प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व, बिना किसी पक्षपात के, दण्डित किये जाने की पात्रता होगी। ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को हितग्राहियों को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, उक्त वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर के बराबर, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ तथा आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति (penalty) के, प्रत्यर्पण (refund) की जाएगी।”

(स) 15. टैरिफ अवधारण संबंधी याचिका :

“15.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा दीर्घ-अवधि क्रेताओं को दिनांक 1.4.2009 से प्रारम्भ होने वाली अवधि से प्रावधिक तौर पर दिनांक 31.3.2009 को प्रयोज्य दर पर देयक प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगा। जब तक कि आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार टैरिफ का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

बशर्ते यह कि जहां प्रावधिक रूप से बिल की गई विद्युत दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित अन्तिम विद्युत दर से अधिक हो अथवा कम हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा पारेषण क्रेताओं से, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, इस राशि का प्रत्यर्पण अथवा वसूली भारतीय स्टेट बैंक की उक्त वर्ष हेतु 1 अप्रैल को लागू आधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर, की समतुल्य दर पर, मय साधारण ब्याज जोड़कर इन विनियमों के अंतर्गत अन्तिम विद्युत दर (टैरिफ) की अवधारण तिथि से छः माह के अंदर करेगा।”

(द) 28. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital) :

“28.1 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी गणना विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की उक्त वर्ष की 1 अप्रैल को प्रयोज्य आधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर की समतुल्य दर पर की जाएगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी बाह्य संस्था से ऋण न भी लिया गया हो अथवा कार्यकारी पूंजीगत ऋण की तुलना में मानकीकृत आधार पर वांछित राशि से अधिक हो गया हो।”

आयोग के आदेशानुसार

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव

Bhopal, Dated 15th November, 2010

No. 3120 /MPERC/2010. In exercise of powers conferred by Section 181 (2) (h) and 181(2) (zd) read with Section 36 and 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in MPERC (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2009 notified on 08.05.2009 :

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF TRANSMISSION TARIFF) REGULATIONS, 2009

1. Preamble

The Reserve Bank of India has issued guidelines on introduction of “Base Rate” system in place of “Prime Lending Rate” system. As such, it is required to amend the existing Regulations accordingly in line with new system.

2. Short title and commencement: 2.1 These Regulations shall be called “**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2009 (Second Amendment) {ARG-28 (I)(ii) of 2010}**”.

2.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2.3 These Regulations shall come in force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

3. Amendment to Regulations 8, 13, 15 and 28

In the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2009, Clauses 8.4, 13.1, 15.2 and 28.1** shall be substituted as follows, namely:

(a) 8. Methodology for Determination of Tariff and True-up

“8.4 If the Tariff already recovered is more than the Tariff determined after true-up, the Transmission Licensee shall refund to the Long-term transmission Beneficiaries the excess amount so recovered alongwith simple interest at the rate equal to the State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00%. Similarly, in case the Tariff already recovered is less than the Tariff determined after true-up, the Transmission Licensee shall recover from the Long-term transmission Beneficiaries, the under recovered amount along with simple interest at the rate equal to the State Bank Base Rate as on 1st April of that year plus 4.00% subject to adhering to the timelines specified by the Commission for filing of True-up Application. In case, it is found that the filing of True-up is delayed due to the reasons attributable to the Transmission Licensee, the under recovery shall not bear any interest.”

(b) **13. Charging of Tariff other than approved**

“13.1. Any Transmission Licensee found to be charging a Tariff different from the one approved by the Commission from Beneficiaries shall be deemed to have not complied with the directions of the Commission and shall be liable to be proceeded against under Section 142 of the Act without prejudice to any other liability becoming due from the licensee under any other provisions of the Act. In case the amount recovered exceeds the amount allowed by the Commission, the excess amount so recovered shall be refunded to the Beneficiaries who have paid such excess charges, along with simple interest for that period equivalent to the State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00% besides any other penalty that may be imposed by the Commission.”

(c) **15. Petition for determination of Tariff**

“15.2 The Transmission Licensee shall continue to provisionally bill the Beneficiaries or the Long-term Customers based on Tariff approved by the Commission and applicable as on 31.03.2009 for the period starting from 01.04.2009 till approval of Tariff by the Commission in accordance with these Regulations:

Provided that where the Tariff Provisionally billed exceeds or falls short of the final Tariff approved by the Commission under these Regulations, the Transmission Licensee shall refund to or recover from the Beneficiaries or the Transmission Customers, as the case may be, within six months from the date of determination of final Tariff under these Regulations alongwith simple interest at the rate equal to the State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00%.”

(d) **28. Interest charges on working capital**

“28.1. Rate of interest on working capital to be computed as provided subsequently in these Regulations shall be on normative basis and shall be equal to the State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00%. The interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Licensee has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan compared to the working capital required on the normative basis.”

By order of the Commission

P.K.Chaturvedi, Commission Secretary

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर, 2010

क्रमांक 3221/मप्रविनिआ/2010, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181(2) (जेडडी) सहपठित धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2009 जो दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था, में निम्न संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में प्रथम संशोधन

1. प्रस्तावना :

भारतीय रिजर्व बैंक ने "प्रधान ऋण प्रदाय दर (Prime Lending Rate)" प्रणाली के स्थान पर "आधार दर (Base Rate)" प्रणाली लागू किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं । अतएव नवीन प्रणाली से संरेखित, वर्तमान विनियमों को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

2. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 2.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (प्रथम संशोधन) [ARG-26 (I) (i), वर्ष 2010]" कहलायेंगे ।

2.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञापिधारियों को उनके तत्संबंधी अनुज्ञापि-प्राप्त श्रेत्रों में प्रयोज्य होंगे ।

2.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

3. विनियमों 8, 13, 15 तथा 27 में संशोधन :

"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009" की कण्डिकाओं 8.5, 13.1, 15.3 तथा 27.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

(अ) 8. टैरिफ के अवधारण तथा सत्यापन की विधि :

"8.5 यदि अद्यतन रूप से वसूल किये गये टैरिफ की राशि सत्यापन उपरान्त किये गये अवधारित टैरिफ से अधिक हो तो ऐसी दशा में विद्युत उत्पादक कम्पनी द्वारा हितग्राहियों को अधिक वसूल की गई राशि को उक्त वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में 4 प्रतिशत जोड़कर के बराबर साधारण ब्याज दर पर प्रत्यर्पण (Refund) किया जाएगा । इसी प्रकार, ऐसे प्रकरण में जहां वसूल किया गया टैरिफ सत्यापन उपरान्त अवधारित टैरिफ राशि से कम हो तो ऐसी दशा में विद्युत उत्पादक कम्पनी हितग्राहियों से कम वसूल की गई राशि की वसूली तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में चार प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज के साथ करेगी जो कि आयोग द्वारा सत्यापन याचिका दायर किये जाने संबंधी विनिर्दिष्ट की गई समय-सीमा का अनुसरण किये जाने के

अध्यधीन होगी । ऐसे प्रकरण में, जहां यह पाया गया हो कि सत्यापन याचिका का दायर किया जाना उत्पादक कम्पनी द्वारा किये गये विलंब के कारण है तो कम की गई वसूली राशि पर ब्याज देय न होगा।”

(ब) 13. अनुमोदित विद्युत-दर (टैरिफ) से अधिक की गई वसूली:

“13.1 किसी उत्पादक कम्पनी, जिसे हितग्राहियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से अधिक टैरिफ प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का उल्लंघन किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत उत्पादक कम्पनी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व, बिना किसी पक्षपात के, दण्डित किये जाने की पात्रता होगी । ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूली की गई राशि को हितग्राहियों को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, उक्त वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की अधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर के बराबर उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ, मय तथा आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति (penalty) के, प्रत्यर्पण (refund) किया जाएगा।”

(स) 15. टैरिफ अवधारण की याचिका :


“15.3 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, विद्युत उत्पादक कम्पनी हितग्राहियों को दिनांक 1.4.2009 से प्रारम्भ होने वाली अवधि से प्रावधिक तौर पर दिनांक 31.3.2009 को प्रयोज्य दर पर देयक प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगी जब तक कि आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार टैरिफ का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

बशर्ते यह कि जहां प्रावधिक रूप से बिल की गई विद्युत दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित अन्तिम विद्युत दर से अधिक हो अथवा कम हो तो उत्पादक कम्पनी हितग्राहियों को/से जैसा कि प्रकरण में लागू हो, इस राशि का प्रत्यर्पण अथवा वसूली भारतीय स्टेट बैंक की उक्त वर्ष हेतु 1 अप्रैल को लागू आधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर, की समतुल्य दर पर, मय साधारण ब्याज जोड़कर इन विनियमों के अंतर्गत अंतिम विद्युत दर (टैरिफ) की अवधारण तिथि से छः माह के अंदर करेगी ।”

(द) 27. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital) :

“27.1 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी गणना विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की उक्त वर्ष की 1 अप्रैल को प्रयोज्य आधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर की समतुल्य दर पर की जाएगी । कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही विद्युत उत्पादक कम्पनी द्वारा किसी बाह्य संस्था से ऋण न भी लिया गया हो अथवा कार्यकारी पूंजीगत ऋण की तुलना में मानकीकृत आधार पर वांछित राशि से अधिक हो गया हो ।”

आयोग के आदेशानुसार


पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव

Bhopal, Dated 25th November, 2010

No. 3221/MPERC/2010. In exercise of powers conferred by Section 181(2) (zd) read with Section 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in MPERC (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009 notified on 08.05.2009:

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF GENERATION TARIFF) (REVISION-I) REGULATIONS, 2009

1. Preamble

The Reserve Bank of India has issued guidelines on introduction of “Base Rate” system in place of “Prime Lending Rate” system. As such, it is required to amend the existing Regulations accordingly in line with new system.

2. Short title and commencement: 2.1 These Regulations shall be called “**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009 (First Amendment) {ARG-26 (I)(i) of 2010}**”.

2.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2.3 These Regulations shall come in force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

3. Amendment to Regulations 8, 13, 15 and 27:

In the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009**, **Clauses 8.5, 13.1, 15.3 and 27.1** shall be substituted as follows, namely:-

(a) 8. Methodology for Determination of Tariff and True-up

“8.5 If the Tariff already recovered is more than the Tariff determined after true up, the Generating Company shall refund to the Beneficiaries the excess amount so recovered along with simple interest at the rate equal to State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00%. Similarly, in case the Tariff already recovered is less than the Tariff determined after true up, the Generating Company shall recover from the Beneficiaries, the less recovered amount along with simple interest at the rate equal to State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00% subject to adhering to the timelines specified by the Commission for filling of True-up application. In case, it is found that the filling of True-up is delayed due to the reasons attributable to the Generating Company, the under recovery shall not bear any interest.”

(b) **13. Charging of Tariff other than approved**

“13.1 Any Generating Company found to be charging a Tariff different from the one approved by the Commission from the Beneficiaries shall be deemed to have not complied with the directions of the Commission and shall be liable to be proceeded against under Section 142 of the Act without prejudice to any other liability incurred by the Generating Company under any other provisions of the Act. In case the amount recovered exceeds the amount allowed by the Commission, the excess amount so recovered shall be refunded to the Beneficiaries who have paid such excess charges, along with simple interest for that period equivalent to the State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00%, besides any other penalty that may be imposed by the Commission.”

(c) **15. Petition for determination of Tariff**


“15.3 In case of the existing Projects, the Generating Company shall continue to provisionally bill the Beneficiaries based on the Tariff approved by the Commission and applicable as on 31.3.2009 for the period starting from 1.4.2009 till approval of Tariff by the Commission in accordance with these Regulations:

Provided that where the Tariff provisionally billed exceeds or falls short of the final Tariff approved by the Commission under these Regulations, the Generating Company, shall refund to or recover from the Beneficiaries, within six months from the date of determination of final Tariff under these Regulations along with simple interest at the rate equal to the State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00%.”

(d) **27. Interest charges on Working Capital**

“27.1 Rate of interest on working capital to be computed as provided subsequently in these Regulations shall be on normative basis and shall be equal to the State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00%. The interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Generating Company has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan compared to the working capital required on the normative basis.”

By order of the Commission



P.K.Chaturvedi, Commission Secretary